

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 47 / 2022


अनवान राज0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0 जरिये सीनीयर
रीजनल मैनेजर बालोतरा बनाम राज0 राज्य बगौरा

04.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में दिनांक 16.08.2022 को वकील अपीलांट श्री सचिन भाटी एवं श्री योगेश शर्मा रीको, JIO, RIICO BALOTRA द्वारा प्रार्थना बाबत अपील विद्रोल करने का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह उल्लेखित किया गया है कि विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि मौजूदा अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजूदा अपील जरिये विद्रोल खारीज करने व इस विषयवस्तु के लिए नया प्रकरण संस्थित (रिविजन) करने की अनुमति दी जाने का निवेदन किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति रेस्पोंडेंट सं0 3 के अधिवक्ता को दी हुई है, जिनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई।



अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील जरिये विद्रोल खारीज की जाती है। अपीलांट उक्त वाद को लेकर चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली अप्राप्त है, निर्णय की सत्यप्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।


4/11/22
(कैलाश चन्द्र गीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर